न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	09.02.2016	27.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री आदित्य पुरोहित पुत्र श्री विष्णुकान्त पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी ग्रा. पो. वनस्थली निवाई जिला टोंक मैसर्स मुक्तेश्वरी वस्तु भण्डार वनस्थली विद्यापीठ केम्प्स वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक
2—मैसर्स मुक्तेश्वरी वस्तु भण्डार वनस्थली विद्यापीठ केम्प्स वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक
3—श्रीमति मेघा सपरा निवासी खण्डेला बाजार, श्री माधोपुर सीकर प्रोपरायटर मैसर्स सपरा मार्केटिंग कम्पनी जी. 635—ए, प्रताप स्टील के पीछे, वीकेआई एरिया जयपुर
4—मैसर्स सपरा मार्केटिंग कम्पनी जी. 635—ए, प्रताप स्टील के पीछे, वीकेआई एरिया जयपुर
5—श्री अब्राहम जॉन ठाराकन निवासी 814, शिभुमी बीच रोड फोर्ट कोचीन केरला डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर
6—श्री गौतम शर्मा निवासी जी—502, मंत्री एस्पना करियम्मना अग्रहरा मराठली आउटर रिंग रोड बैंगलोर मैनेजिंग डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम. जी. रोड बैगंलोर
7—श्री सतोरू निकी निवासी 424, ऐम्बेसी, हेबीट्टस, पैलेस रोड, बैंगलोर हॉल टाईम डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर
8—श्री ईगो ओगीवरा निवासी 2—5—1—4610, टोयूसू, कोटूउ—कू, टोक्यो, जापान डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर
9—श्री आतुशिशी ईटो निवासी 3—12—1—301, साकूरादाई, नेरिमा—कू, टोक्यो जापान डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर
10—श्री तोशिहिरो मितसुई निवासी सिटी हाउस सासाजुका, 1—41—18—105, होनन, सुगीनामी—कू, टोक्यो, जापान डायरेक्टर मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर
11—मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड सेनेटेरी बिल्डिंग 28 एम.जी. रोड बैगंलोर

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक श्री कैलाश शर्मा अनुपस्थित ।

1900

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 27.07.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.08.2015 को समय 05:00 पीएम पर मैसर्स मुक्तेश्वरी वस्तु भण्डार वनस्थली विद्यापीठ केम्पस वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री आदित्य पुरोहित पुत्र श्री विष्णुकान्त पुरोहित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री आदित्य पुरोहित ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में 280 ग्राम पैक के लगभग 18–20 पैकेट पैक्ड अवस्था में **इन्सटेंट नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री आदित्य पुरोहित को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री आदित्य पुरोहित व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)**, जिसके बैच नम्बर 315 पी. 08 जी.एफ.एम. एवं पैकिंग की दिनांक 08.04.2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 280 ग्राम के आठ पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)** 280 ग्राम के आठ पैकेट को दो–दो पैकेट बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1089 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1089 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री आदित्य पुरोहित पुत्र श्री विष्णुकान्त पुरोहित मैसर्स मुक्तेश्वरी वस्तु भण्डार वनस्थली विद्यापीठ केम्पस वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सपरा मार्केटिंग कम्पनी जी. 635–ए, प्रताप स्टील के पीछे, वीकेआई एरिया जयपुर का बिल पेश किया। इस बाबत् मैसर्स सपरा मार्केटिंग कम्पनी जी. 635–ए, प्रताप स्टील के पीछे, वीकेआई एरिया जयपुर को पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स इन्डो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निसिन फूड्स लिमिटेड का वारंटी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स मैसर्स इन्डो निसिन फूड्स लिमिटेड को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म–बी एवं अपनी फर्म के डायरेक्टरों के नाम व पते प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4417 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./608/एक्ट/2015/620 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)** एफएसएसए की धारा 3(i)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.06.2016 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री कैलाश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा एवं अप्रार्थी सं. 3 ता 11 की ओर से श्री कैलाश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया और वकालतनामा पेश करने का समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगणों को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब एवं वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नूडल्स विथ टेस्ट मेकर (टॉप रेमन सुपर नूडल्स निसिन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 11 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000 (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0